## दिनांक 5.9.2018 को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, अध्यक्ष राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में षष्टम बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 5.9.2018 को सचिवालय स्थित सभागार कक्ष संख्या 101 में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की बैठक आयोजित की गयी जिसकी अध्यक्षता मा0 उच्च शिक्षा मंत्री/अध्यक्ष, राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा की गई तथा उपाध्यक्षता प्रो0 यू0एस0 रावत भी उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी द्वारा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष तथा अन्य अतिथिगणों का पुष्प देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् डॉ0 अहमद इकबाल, अपर सचिव, उच्च शिक्षा जी का परिचय दिया गया।

बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया :

1. डॉ0 रणबीर सिंह, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. डॉ0 अहमद इकबाल, अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ0 यू0एस0 रावत, कुलपति, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
4. डॉ0 डी0के0 नौरियाल, कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. डॉ0 सी0एस0 नौटियाल, कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. डॉ0 जे0सी0 घिल्डियाल, निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
7. डॉ0 अनिता रावत, कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
8. डॉ0 ममता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, एम0के0पी0 (पी0जी0 कॉलेज), देहरादून।
9. डॉ0 महाबीर सिंह रावत, राजकीय महाविद्यालय डोईवाला।
10. डॉ0 पी0एस0 मखलोगा, सेवानिवृत्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय उत्तरकाशी।
11. डॉ0 अनिल डब्बू, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
12. प्रो0 जी0एल0 शाह, नैनीताल।
13. डॉ0 डी0सी0 पाण्डेय, राजकीय महाविद्यालय थलीसैंण।
14. डॉ0 कमल सिंह बिष्ट, डी0बी0एस0 कॉलेज, देहरादून।
15. प्रो0 एच0सी0 चन्दोला, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
16. डॉ0 राजनारायण शुक्ल, कार्यकारी अध्यक्ष, उ0प्र0 भाषा संस्थान, लखनऊ।
17. डॉ0 देवेन्द्र भसीन, भूतपूर्व प्राचार्य, डी0ए0वी0 पी0जी0 कॉलेज, देहरादून।

बैठक में प्रत्येक एजेंडा पर बिन्दुवार विचार किया गया :–

**मद संख्या (1)** **दिनांक 4 मई, 2018 को आयोजित पंचम बैठक के निर्णयों की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या का अनुमोदन।**

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद् की दिनांक 4 मई 2018 को पंचम बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पारित निर्णयों की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या पर परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

**मद संख्या (2)** **रुसा फेज–2 के अन्तर्गत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों हेतु अनुमोदित प्रस्ताव की जानकारी।**

रुसा फेज–2 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों तथा राजकीय महाविद्यालयों को घटकवार अनुदान स्वीकृत होने की जानकारी सभी माननीय सदस्यों को दी गयी।

**मद संख्या (3)** **रुसा फेज–1 की प्रगति आख्या।**

रुसा फेज–1 के समस्त विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को तीसरी किस्त प्राप्त कर आबंटित कर दी गयी है। रुसा की शर्तो एवं मा0 मंत्री जी के निर्देशानुसार सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सम्पूर्ण अनुदान का उपभोग दिनांक 30 सितम्बर 2018 तक करना अनिवार्य है। परिषद् ने इसका संज्ञान लेते हुए सभी संस्थाओं से शीघ्र कार्य करवाने हेतु सहमति प्रदान की। सभी महाविद्यालय अपनी डी0पी0आर0 के अनुसार नई सुविधाओं का क्रय नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र कर लें इस पर सहमति बनी।

**मद संख्या (4)** **दिनांक 3 नवम्बर 2018 को प्रस्तावित ज्ञान कुंभ के आयोजन पर चर्चा।**

बैठक में सभी सदस्यों को सूचना दी गयी कि रुसा एवं उच्च शिक्षा विभाग के तत्वाधान में एक ज्ञान कुंभ का आयोजन पंतजलि योगपीठ, हरिद्वार में सुनिश्चित हुआ है जिसमें 1600 प्रतिनिधि भाग लेगें तथा सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, कुलपति/कुलसचिव एवं देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के निदेशक तथा शिक्षा जगत से जुड़े सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति आदि आमंत्रित किये जायेगें। इस हेतु रुसा की एम0एम0ई0आर0 ग्रान्ट से लगभग रु0 60 लाख की धनराशि का प्रावधान किये जाने की अनुमति परिषद् द्वारा दी गयी।

**मद संख्या (5)** **एडुसैट परियोजना में अतिरिक्त संविदा/आउटसोर्स पदों की अनुमति।**

एडुसैट परियोजना में 2 टेक्निकल असिस्टेंट, 1 फील्ड असिस्टेंट, 1 डाटा एन्ट्री आपरेटर को संविदा/आउटसोर्स के पदों पर उपनल/पी0आर0डी0 से नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**मद संख्या (6)** **नैक प्रत्यायन में गतिमान प्रक्रिया एवं प्रगति के सम्बन्ध में।**

परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी महाविद्यालयों को नैक करवाना अनिवार्य करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा पूर्व गठित SLQAC (State Level Quality Assurance Cell) को तीव्र गति से कार्य करने हेतु कहा गया।

**मद संख्या (7)** **रुसा परियोजना निदेशालय में वित्तीय अधिकारों की सीमा का पुर्ननिर्धारण।**

रुसा परियोजना निदेशालय में वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 415/12(रुसा)/2015 दिनांक 30 मई 2015 में निर्धारित सीमा में पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में बैठक में चैक हस्ताक्षर करने की सीमा में निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया गया।

| | |
|---|---|
| वित्त नियंत्रक/अधिकारी | – रु0 1,00,000 तक |
| अपर परियोजना निदेशक | – रु0 1,00,001 से 2,00,000 तक |
| परियोजना निदेशक | – रु0 2,00,001 से अधिक |

**मद संख्या (8)** **उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी हेतु इन्टरनेट कनेक्टीविटी हेतु लीज लाइन।**

बैठक में सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि इस हेतु प्रथम स्थापना ग्रान्ट रुसा निदेशालय द्वारा दी जायेगी तथा रिकरिंग ग्रान्ट उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी अपने स्तर पर धनराशि का व्यय भार को वहन करेगा।

**मद संख्या (9)** **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु।**

1. एक प्रोफेसनल कॉलेज एवं गोपेश्वर में कलस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु रुसा अन्तर्गत भारत सरकार से अनुरोध किये जाने की सूचना परिषद् को दी गयी जिसे ध्वनिमत से आगे बढाने पर सहमति बनी।

2. राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के कार्यालय हेतु कोई पुराना राजकीय ~~पुराने~~ भवन तलाश करने के निर्देश दिये गए।
3. रुसा परियोजना निदेशालय में आउटसोर्स की भर्ती उपनल व पी0आर0डी0 से तैनाती के लिए निर्धारित चयन समिति की प्रक्रिया को नियमानुसार संशोधित कराऐ जाने पर सहमति बनी। तदनुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।
4. रुसा में नियुक्त सलाहकारों के कार्यो की ज्ञान कुंभ आदि में अधिक व्यस्तता के मध्यनजर रुसा से एक अतिरिक्त वाहन दो माह हेतु किराये पर लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई

21/9/2018

अपर मुख्य सचिव एवं
परियोजना निदेशक, रुसा
उत्तराखण्ड शासन

परियोजना निदेशालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम्, देहरादून
संख्या : 674 (21)/रुसा/2018–19 दिनांक 25 सितम्बर 2018

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. मुख्य प्रमुख निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं परियोजना निदेशक, 'रुसा', उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख निजी सचिव, अपर सचिव, उच्च शिक्षा एवं अपर परियोजना निदेशक, रुसा उत्तराखण्ड।
5. संयुक्त सचिव, मा0सं0वि0मं0 (उच्च शिक्षा विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. कुलपति, उच्च शिक्षा विभाग के नियत्रंणाधीन 5 राज्य विश्वविद्यालय।
7. उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद् के समस्त सदस्य।

8. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी नैनीताल।
9. नोडल अधिकारी, ए0आई0एस0एच0ई0 एवं 'नॉक', उत्तराखण्ड ।
10. नोडल अधिकारी, रुसा, उत्तराखण्ड।

डॉ0 (अशोक कुमार)
अपर परियोजना निदेशक, रुसा